उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास अनुभाग-2
संख्या- 979 एस.सी.ओ./18-2-71/88
लखनऊ: दिनांक : 28 फरवरी, 1995

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 389-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 11 सन् 1966) की धारा-122 की उप-धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- यू.ओ. 402(1)/12सी-1-76, दिनांक 6-8-1977 द्वारा आयुक्त एवं सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिलों तथा सहकारी चीनी मिल संघ के लिये प्राधिकारी संघटित किया गया है तथा सहकारी चीनी मिलों और चीनी मिल संघ के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी क्रम में पुनः उत्तर प्रदेश सरकार सहकारिता अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-474/12सी-1-87-7(13)-76 टी.सी., दिनांक 31-3-1987 द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिलों तथा यू0पी0कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन लि0 लखनऊ के कर्मचारियों की भर्ती, उपलब्धियों और सेवा के अनुबन्धों और शर्तों जिसके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी है, के सम्बंध में विनियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं।

उपरोक्त प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सहकारी चीनी मिलों तथा यू0 पी0 कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन लि0 लखनऊ के कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा सम्बंधी कार्यों के निमित्त यू0पी0 कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन लि0 कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1988 का निर्माण किया गया है तथा इसका प्रकाशन राजकीय गजट में दिनांक 6-1-1989 को किया गया है।

~~इसके उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार चीनी उद्योग अनुभाग-2 से निर्गत~~

अधिसूचना संख्या- 667 एस0सी0/18-6-71-88, दिनांक 15-3-1990 तथा पुनः

------2/-

... प्रदेश सरकार चीनी उद्योग अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस0ओ0/18-2-71-88, दिनांक 9-7-92 द्वारा कतिपय संशोधन किये ...

शुगर मिल्स कर्मिक रेगुलेशन्स, 1988 के साथ पठित द्वितीय संशोधन 1992 ... 12(1) के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था है :

12-(1) संघ के अधीन समूह "क", "ख" और "ग" के पदों पर नियुक्तियां निम्न प्रकार से की जायेंगी -

(क) सीधी भर्ती द्वारा, या

(ख) विभागीय परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे प्रबन्ध निदेशक समय-समय पर अवधारित करें, कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा,

(ग) प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर सेवायोजन द्वारा,

(घ) किसी अन्य ढंग से जिसे प्राधिकारी अनुमोदित करें।

उपरोक्त विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :-

(1) सहकारी चीनी मिलों तथा यू0पी0कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन लि0 लखनऊ में प्रधान प्रबन्धकों के पदों पर तैनाती निम्न स्रोतों से की जाय :

(क) सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) यू0पी0 शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के कर्मियों द्वारा।

(ग) प्रतिनियुक्ति द्वारा। प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु उ0प्र0 सिविल सर्विसेज (प्रशासनीय शाखा), पी.सी.एस. संवर्ग के अधिकारी, गन्ना विकास विभाग तथा राज्य सरकार के अन्य विभागों से भी अनुभव और योग्यता के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाय।

(2) प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की वर्तमान संख्या यथावत रखी जाय।

(3) ... हस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह समय-समय पर आवश्यकता को देखते हुए समीक्षा करने के पश्चात पी0सी0एस0 संवर्ग के प्रधान प्रबन्धकों की संख्या में परिवर्तन कर सकेंगे।

चूंकि सहकारी चीनी मिलों तथा उनकी शीर्षस्थ संस्था यू0पी0 कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन में राज्य सरकार की बहुत

अधिक पूंजी विनियोजित हैं अत: राज्य सरकार के हितों की रक्षा में तथा व्यापक जनहित/लोकहित में यह आदेश पारित किये जाते हैं।

ह० डी० के० मित्तल
[illegible]

डी०के०मित्तल,
प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं
गन्ना विकास विभाग/प्राधिकारी
सहकारी चीनी मिलें एवं संघ।

संख्या- 5745 (1) [illegible] /18-3-95 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ।

2- सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।

3- समस्त सहकारी चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धक।

4- गन्ना आयुक्त/निबन्धक, सहकारी चीनी मिलें, उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,

ह० डी० के० मित्तल

।डी०के०मित्तल।
प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं
गन्ना विकास विभाग/प्राधिकारी,
सहकारी चीनी मिलें एवं संघ।

उत्तर प्रदेश सरकार
चीनी उद्योग अनुभाग-2

संख्या - एससी/18-2-95,71/88
लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई,95

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन 1966) की धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उक्त धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या यू.ओ. 402(2)/12-सी-1-76, दिनांक 6 अगस्त,1977 में गठित प्राधिकारी एतद्द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली,1988 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा (तृतीय संशोधन) विनियमावली,1995.

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा (तृतीय संशोधन) विनियमावली,1995 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

विनियम 11,12 और 13 का प्रतिस्थापन -

2- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली,1988 में, जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 11,12,और 13 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये विनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात :-

पदों का सृजन
विनियम-11

स्तम्भ-1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अधीन पदों का सृजन करने की शक्ति प्राधिकारी में विहित होगी ।	इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अधीन पदों का सृजन और पदों के वेतनमान के निर्धारण की शक्ति प्राधिकारी में निहित होगी ।
प्राधिकारी समय-समय पर संघ की सेवा में प्रत्येक समूह के पदों की संख्या अवधारित करेगा ।	प्राधिकारी समय-समय पर संघ की सेवा में प्रत्येक समूह के पदों की संख्या अवधारित करेगा ।

	वर्तमान विनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
विनियम-12 भर्ती का स्रोत	(1) संघ के अधीन समूह "क", "ख" और "ग" के पदों पर नियुक्तियां निम्न प्रकार से की जायेंगी- (क) सीधी भर्ती द्वारा; या (ख) विभागीय परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे प्रबन्ध निदेशक समय-समय पर अवधारित करें, कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; (ग) प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर सेवायोजन द्वारा; (घ) किसी अन्य स्रोत से जिसे प्राधिकारी अनुमोदित करें।	(1) संघ के अधीन समूह "क", "ख" और "ग" के पदों पर नियुक्तियां निम्नप्रकार से की जायेंगी :- (क) सीधी भर्ती द्वारा ; या (ख) विभागीय परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय, कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; या (ग) प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर सेवायोजन द्वारा;
	(2) समूह "क" के सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे ।	(2) समस्त समूह "घ" के पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी ।
विनियम 13 चयन समिति	(1) संघ के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए एक चयन समिति होगी ।	(1) संघ के अधीन विभिन्न समूहों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिये पृथक-पृथक चयन समितियाँ होंगी ।
	(2) समूह "क", "ख" और "ग" के पदों पर अभ्यर्थियों के चयन के लिये समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे - (क) प्रबन्ध निदेशक - अध्यक्ष (ख) प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विशेषज्ञ - सदस्य	(2) समूह "क" के पदों के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :- (क) शासन के सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग - अध्यक्ष (ख) प्रबन्ध निदेशक - सदस्य (ग) शासन के सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का न हो - सदस्य (घ) प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो से अनधिक व्यक्ति जो उस विषय के, जिसके सम्बन्ध में चयन किया जाना हो, विशेषज्ञ हों - सदस्य

(ड.) यदि खण्ड (ग) से (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के न हों तो प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक जाति/जनजाति या वर्ग का, जिनका ~~प्रतिनिधित्व~~ प्रतिनिधित्व न हो, ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से, जिसके लिए चयन समिति का गठन किया जाना हो, एक वेतनमान उच्च के हों, एक-एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

परन्तु यह कि यदि नाम निर्देशन के लिये पात्र अधिकारी उपलब्ध न हों तो प्राधिकारी किसी ऐसे उपयुक्त अधिकारी को जिसे वह उचित समझें, नाम निर्दिष्ट कर सकता है ।

(3) समूह "घ" के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे प्रबन्धनिदेशक द्वारा प्राधिकृत किया जाय।

(3) समूह "घ" के पदों के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(क) प्रबन्ध निदेशक - अध्यक्ष

(ख) प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ का संयुक्त प्रबन्ध निदेशक - -- सदस्य

(ग) प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो से अनधिक व्यक्ति जो उस विषय के विशेषज्ञ हों जिनके संबंध में चयन किया जाना है - सदस्य

(घ) यदि खण्ड (क) से (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के न हों तो प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक जाति/जनजाति या वर्गों का, जिसका प्रतिनिधित्व न हो, ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से, जिसके लिये चयन समिति का गठन किया जाना हो, कम से कम एक उच्चतर वेतनमान का हो, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

।5। समूह "ग" के पदों के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

।क। संघ का संयुक्त प्रबन्ध निदेशक - अध्यक्ष

।ख। प्रबन्ध निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट समूह "ग" या उससे उच्च पद के दो अधिकारी - सदस्य

।ग। यदि खण्ड ।क। और ।ख। में निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के न हों तो प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक जाति/जनजाति या वर्ग का, जिसका प्रतिनिधित्व न हो, ऐसे अधिकारियों में से जो कम से कम उस पद से, जिसके लिये चयन समिति का गठन किया जाना, एक वेतनमान से कम से कम एक उच्चतर वेतनमान, के हों, नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

नियम 19 संशोधन

3- उक्त विनियमावली में, विनियम 19 में, उप विनियम ।5। के पश्चात, निम्नलिखित उपविनियम बढ़ा दिया जायगा, अर्थात :-

" ।6। समूह "क" और समूह "ख" के पद धारक कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने के लिए प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायगा ।"

विनियम 21 संशोधन

4- उक्त विनियमावली में, विनियम 21 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये उप विनियम ।2। के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपविनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम
अधिवर्षिता और निवृत्ति ।1। कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा-निवृत्त होगा : परन्तु किसी कलेण्डर माह के प्रथम दिनांक से भिन्न किसी दिनांक को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी उस माह के अंतिम दिन को सेवा निवृत्त होगा।	

....5

(2) यदि संघ के हित में ऐसा करना उचित हो कि 60 वर्ष की आयु के पश्चात किसी कर्मचारी को नियत अवधि के लिये संविदा पर सेवायोजित किया जाय तो ऐसा करने की प्रबन्ध निदेशक की यह शक्ति इस विनियम की किसी बात से प्रभावित हुई नहीं समझी जायगी ।

(2) यदि संघ के हित में ऐसा करना उचित हो कि 60 वर्ष की आयु के पश्चात किसी कर्मचारी को नियत अवधि के लिये संविदा पर सेवायोजित किया जाय तो ऐसा करने की प्राधिकारी की यह शक्ति इस विनियम की किसी बात से प्रभावित हुई नहीं समझी जायगी ।

विनियम 34 का संशोधन

5- उक्त विनियमावली में, विनियम 34 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप विनियम (1) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उप विनियम रख दिया जायगा, अर्थात :-

स्थानान्तरण

<u>स्तम्भ-1</u>

<u>विद्यमान उपविनियम</u>

(1) नियुक्ति प्राधिकारी को उ०प्र० में किसी सहकारी चीनी मिल, आसवनी, इकाई या संघ के नियंत्रणाधीन किसी अन्य अधिष्ठान में या भारत के किसी अन्य स्थान में कर्मचारियों की नियुक्तियां करने और उन्हें किसी एक सहकारी चीनी मिल, आसवनी इकाई या अधिष्ठान से दूसरे में स्थानान्तरित करने की भी शक्ति होगी ।

<u>स्तम्भ-2</u>

<u>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम</u>

(1) प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी को किसी सहकारी चीनी मिल, आसवनी, इकाई या संघ के नियंत्रणाधीन किसी अन्य अधिष्ठान में कर्मचारियों की तैनाती करने और उन्हें किसी एक सहकारी चीनी मिल, आसवनी, इकाई या अधिष्ठान से दूसरे में स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी किन्तु सलाहकार, महाप्रबन्धक, आसवनी प्रबन्धक, मुख्य अभियन्ता, मुख्य रसायनज्ञ, मुख्य लेखाकार, मुख्य गन्ना विकास अधिकारी और समान पद धारण करने वाले अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होगा ।

अनुसूची का संशोधन

6- उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात :-

<u>स्तम्भ-1</u>

<u>विद्यमान अनुसूची</u>

अनुसूची (विनियम 3 देखिये)
संघ के अधीन पदों का वर्गीकरण
समूह "क"-उस वेतनमान वाले पद जिनका न्यूनतम 1000 रुपये (अपुनरीक्षित) प्रतिमास हो ।

<u>स्तम्भ-2</u>

<u>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची</u>

अनुसूची (विनियम 3 देखिये)
संघ के अधीन पदों का वर्गीकरण
समूह "क"-उस वेतनमान वाले पद जिनका न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमास हो ।

4500

समूह "ख"-उस वेतनमान वाले पद जिनका न्यूनतम 500 रुपये प्रतिमास या अधिक हो किन्तु 1000 रुपये प्रतिमास से कम हो।अपुनरीक्षित।।	समूह "ख"-उस वेतनमान वाले पद जिनका न्यूनतम 2200 रुपये प्रतिमास या अधिक हो किन्तु 3000 रुपये प्रतिमास से कम हो ।
समूह "ग"-उस वेतनमान वाले पद ~~जिनका~~ जिसका न्यूनतम 350रुपये प्रतिमास या अधिक हो किन्तु 500रुपये प्रति मास से कम हो।अपुनरीक्षित। ।	समूह "ग"-उस वेतनमान वाले पद जिनका न्यूनतम 950 रुपये प्रतिमास या अधिक हो किन्तु 2200 रुपये प्रतिमास से कम हो ।
समूह "घ"-उपर्युक्त वर्गीकरणों में से किसी के अन्तर्गत न आने वाले पद ।	समूह "घ"- ऐसे पद जो उपर्युक्त वर्गीकरण में से किसी के अधीन न आते हों ।

आज्ञा से,

। शम्भूनाथ ।
प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड,
लखनऊ ।

संख्या- _ _ _ ।1।एससी/18-2-71/88 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निबन्धक।गन्ना आयुक्त।,उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल समितियाँ, लखनऊ ।

2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, 9-ए, राना प्रताप मार्ग,लखनऊ ।

3- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,ऐशबाग,लखनऊ को अंग्रेजी रुपान्तर की एक प्रति के साथ इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनांक 31-7-1995 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4, खण्ड।क। में अवश्य प्रकाशित करें और गजट के 400 प्रतियां चीनी उद्योग अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ को शीघ्र उपलब्ध करायें ।

आज्ञा से,

। शम्भूनाथ ।
प्राधिकारी,
उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड,
लखनऊ ।